न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर।

प्रार्थना पत्र रिव्यू सख्याः–386/17

1. नगर विकास न्यास जरिये सचिव,
2. भूमि अवाप्ति अधिकारी, नगर विकास न्यास अलवर।

——अपीलान्ट्स/अप्रार्थीगण

बनाम

1. रवि कुमार सबरवाल पुत्र स्व. एस. के. सबरवाल, सीनियर डायरेक्टर लीगल एण्ड कम्पनी सैकेट्री मैसर्स व्हर्लपूल इण्डिया प्रा.लि. जरिये मुख्त्यार आम हरि किशन गोयल पुत्र स्व. श्री सी.एस.गोयल

——रेस्पोडेन्ट/प्रार्थी

निर्णय

दिनांकः 22.01.18

प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र रिव्यू न्यायालय हाजा के आदेश दिनांक 31.07.2017 (प्रकरण संख्या 111/15) से असंतुष्ट होकर प्रस्तुत किया गया।

अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया है कि आलौच्य आदेश दिनांक 31.07.17 की जानकारी प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट को उनके अधिवक्ता की ओर से नही मिल पाने के कारण सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 14.09.17 को हुई जिस पर उसी दिन दिनांक 14.09.17 को नकल हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया, जिस पर नकल प्राप्त की तथा तत्पश्चात् वकील साहब से सलाह मुशवरा किया एवं दिनांक 14.10.17 एवं दिनांक 15.10.17 का शनिवार एवं रविवार का अवकाश हो जाने के कारण रिव्यू प्रार्थना पत्र अन्दर मियाद प्रस्तुत किया गया है जिसके लिये प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम अलग से प्रस्तुत किया गया है, जो स्वीकार योग्य होने से स्वीकार फरमाया जावे।

अधिवक्ता प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट ने कथन किया है कि पत्रावली पर रिकार्ड के अनुसार यह तथ्य साफ जाहिर हो रहा था कि अवाप्तशुदा जमीन का प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट को मुआवजा नही दिया गया और ना ही भूमि का भौतिक रूप से अप्रार्थी/अपीलान्ट्स ने कब्जा प्राप्त किया तथा यह विधिक दृष्टिकोण भी बखुबी साबित था कि भूमि अर्जन पुर्नवास और पुर्न व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 24 के मुताबिक पूर्व अधिनियम के अन्तर्गत की गई अवाप्ति की कार्यवाही के आधार पर अवाप्तशुदा भूमि का यदि मुआवजा नही दिया गया है और ना ही भौतिक कब्जा अवार्ड के तहत लिया गया है, तो ऐसी स्थिति मे अवाप्ति की कार्यवाही स्वतः ही निरस्त हो चुकी है और उस आधार पर अपीलान्ट के नाम विवादित आराजी के सम्बन्ध में इद्राज कायम रहना विधिक दृष्टि से अनुचित एवं स्वतः ही शुन्य है किन्तु यह तथ्य पत्रावली पर बखुबी साबित था किन्तु सहवन से गौर नही हुआ। उन्होने आगे कथन किया है कि जब अवाप्ति अवार्ड स्वतः व्यपगत हो चुका था तो उस आधार पर अपीलान्ट की अपील काबिले

P.T.O.

संभागीय आयुक्त
जयपुर

खारिज थी और इस सम्बन्ध मे पत्रावली रेस्पोडेन्ट/प्रार्थी के द्वारा समुचित दस्तावेज पेश किये गये थे किन्तु सहवन से उन पर गौर नही हुआ इसलिये प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट का रिव्यू प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

अधिवक्ता प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट ने कथन किया है कि रेस्पोडेन्ट/प्रार्थी की ओर से पत्रावली पर विवादित आराजी, जिसके सम्बन्ध में नामान्तरकरण संख्या 363 वाके ग्राम बेलाका तहसील अलवर का अपीलान्ट के हक में मंजूर किया गया था, वह नगर विकास न्यास अपीलान्ट के द्वारा दिनांक 10.08.2000 को रोहिणी नगर योजना को ड्रॉप करने का निर्णय लेकर नोटिफाईड कर दी गई थी जिस हेतु दिनांक 12.04.2001 को राज्य सरकार को अपीलान्ट की ओर से पत्र भी लिखा जा चुका था जो दस्तावेजी साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध है और पुनः भी इस प्रार्थना पत्र के साथ पेश किये जा रहे है जिससे यह स्पष्ट साबित है कि रोहिणी नगर योजना को डीनोटिफाई कर दिया और इतने लम्बे अन्तराल बाद विधि विरूद्ध तरीके से विवादित आराजी के सम्बन्ध में नामान्तरकरण संख्या 363 में अपीलान्ट के नाम दर्ज रहना कानूनन गलत है इस आशय की विज्ञप्ति भी अपीलान्ट की ओर से स्थानीय अखबारों में दिनांक 20.08.2004 को प्रसारित कर अपनी ये मंशा जाहिर की थी कि वह नामान्तरकरण सख्या 363 में दर्जशुदा आराजी को अवाप्त नही करना चाहती है, ऐसी स्थिति में जब पत्रावली पर यह बखुबी साक्ष्य साबित था कि अपीलान्ट नगर विकास न्यास अलवर की ओर से विवादित आराजी को न तो अवाप्त किया गया, न ही मुआवजा दिया गया, और न ही भौतिक कब्जा लिया गया तो उस सूरत में भूमि अर्जन पुर्नवास और पुर्न व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और परदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 24 मुताबिक इन्द्राजात विधि विरूद्ध होने के कारण शून्य है और अपील अपीलान्ट काबिले खारिज है, किन्तु उक्त दृष्टिकोण पर न्यायालय श्रीमान द्वारा गौर नही हुआ है। उन्होने कथन किया है कि शून्य दस्तावेज को किसी सक्षम न्यायालय से निरस्त कराने की जरूरत नही होती है और नही मौजूदा प्रकरण में उक्त अधिनियम की धारा 51 के तहत किसी कमेटी का बनाया जाना आवश्यक था जो कानूनी बिन्दु होने कारण न्यायालय श्रीमान् द्वारा गौर नही किया गया अथवा गौर करने से रह गया है। अतः निवेदन है कि न्यायालय श्रीमान् द्वारा पारित निर्णय दिनांक 31.07.2017 को रिव्यू फरमाते हुये प्रार्थना पत्र हाजा में वर्णित तथ्यों एवं कानूनी बिन्दुओं को गौर फरमाते हुऐ पुनः निर्णय फरमाया जावे।

अधिवक्ता अप्रार्थी/अपीलान्ट ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को अस्वीकार करते हुए कथन किया है कि भूमि अर्जन पुर्नवासन और पुनव्वस्थापन अधिनियम की धारा 51 में प्राधिकरण का प्रावधान रखा गया है कि जिस प्राधिकरण का पीठासीन अधिकारी, जिला न्यायाधीश स्तर का होगा और ऐसा प्राधिकरण ही इस अधिनियम से जुडे विवादों का निपटारा करेगा इस प्रावधान का स्पष्ट आशय है कि प्राधिकरण के अलावा किसी अन्य न्यायालय को ऐसे प्रकरण सुनने का क्षेत्राधिकार नही है, अधिनियम की धारा 63 में सिविल न्यायालय की अधिकारिता का भी वर्णन किया गया है जिस प्रावधान से भी

P.T.O.

स्पष्ट है कि प्राधिकरण के अलावा किसी अन्य न्यायालय को अवाप्ति से जुडे प्रकरण सुनने का क्षेत्राधिकार नही है लेकिन अधीनस्थ न्यायालय को सुनवाई का क्षेत्राधिकार नही होने के बावजूद भी अदालत तहत द्वारा अपना निर्णय पारित कर अहम् कानूनी भूल की है जो काबिले मन्सूख होने योग्य थी। उन्होने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अवार्डशुदा भूमि का न्यास के नाम दर्ज नामान्तरकरण को निरस्त कियाक है जो कि विधिक रूप से गलत तरीके पर किया गया है जबकि उक्त भूमि की बाबत मिन अपीलान्ट/अप्रार्थीगण नगर विकास न्यास के अलावा अन्य किसी को कोई अधिकारिता हांसिल नही थे लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर कतई गौर नही कर अहम कानूनी भूल की थी। उन्होने कथन किया है कि रिव्यू प्रार्थना पत्र द्वारा केवल लिपिकीय त्रुटियों को दुरूस्त किया जा सकता जबकि न्यायालय श्रीमान् द्वारा पूर्व में निर्णय दिनांक 31.07.2017 में किसी प्रकार की कोई लिपिकीय त्रुटि नही की गई है। अतः प्रार्थीगण/रेस्पोडेन्ट का प्रार्थना पत्र रिव्यू खारिज योग्य होने से खारिज फरमाया जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने में हुऐ विलम्ब के सम्बन्ध में अपर न्यायालयों की अनेकों ऐसी नजीरें है जिनमें अपील/प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने में हुऐ विलम्ब को कण्डोन किया गया है, ऐसी स्थिति में प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट के प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम एवं शपथ पत्र में अंकित तथ्यों पर विश्वास करते हुए एवं विलम्ब के सम्बन्ध में नरमी का रूख अपनाते हुए प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट का प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है तथा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को कण्डोन किया जाता है। पत्रावली के अवलोकन करने पर यह भी ज़ाहिर होता है कि राजस्व (ग्रुप–6) विभाग, राजस्थान सरकार के परिपत्र क्रमांक प. 1(3) राज–6/2011/7 दिनांक 11.03.11 के अनुसार भूमि अर्जन पुनर्वासन औरा पुनर्व्यवस्थापन मे उचित प्रतिकार और परदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 24 (2) में वर्णित प्रावधानों के अनुसार भूमि अर्जन अधिनियम 1894 के अधीन आरम्भ की गई भूमि अर्जन की कार्यवाहियों के किसी मामले में जहॉ उक्त धारा 11 के अधीन इस अधिनियम के प्रारम्भ की तारीख के पांच वर्ष के बराबर या उससे अधिक पूर्व अधिनिर्णय (अवार्ड) किया गया है किन्तु भूमि का भौतिक कब्जा नही लिया गया है या प्रतिकार का संदाय नही किया गया है, वहॉ उक्त कार्यवाहियों के बारे में यह समझा जायेगा कि वह व्यपगत (Lapse) हो गई और समुचित सरकार यदि ऐसा चाहती है तो वह इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार ऐसी भूमि अर्जन की कार्यवाहियॉ नये सिरे से आरम्भ करेगी। हस्तगत प्रकरण में वादग्रस्त आराजी का मुआवजा प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट को भुगतान करने, अपीलान्ट द्वारा इस सम्बन्ध में किसी भी सक्षम न्यायालय में रेफरेन्स करने या अपीलान्ट द्वारा वादग्रस्त आराजी का भौतिक कब्जा प्राप्त किया गया हो इत्यादि के सम्बन्ध में अधीनस्थ न्यायालय या न्यायालय हाजा के समक्ष ऐसा कोई भी साक्ष्य, सबूत दस्तावेजात इत्यादि प्रस्तुत नही किये गये है। ऐसी स्थिति में अवाप्ति प्रक्रिया के व्यपगत होने से उसके आधार पर स्वीकृत नामान्तरकरण को उचित ठहराने के ठोस तथ्य अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपलब्ध नही थे।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट का प्रार्थना पत्र पुर्नविचार स्वीकार किया जाता है तथा न्यायालय हाजा द्वारा पारित आदेश दिनांक 31.07.2017 को प्रत्यहारित (Recall) किया जाता है तथा अपील अपीलान्ट सारहीन होने के कारण खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, प्रथम अलवर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 25.03.2015 को यथावत रखा जाता है।

(राजेश्वर सिंह)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 22.01.2018 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर।